

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अगिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं उक्त दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्दाज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अगिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती राजस्व अगिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्दाज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं - नाम गाम -


पटवार मण्डल -

पूर्व इन्दाज				स्वीकृत किया गया नया इन्दाज		
क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	शाधुका शिवा-पन्ड इकापसाय सि. शीराम नेतुलाम पुत्र शिवराम कोस सा. गोदराम खोतरा	95	3.8200	शाधुका शिवा-पन्ड शिवा. प्रसाद सि. माधु राम शीराम पुत्र शिव शंकर कोस सा. गोदराम खोतरा	95	3.8200


क्रमांक : 1006

प्रतिपालक मालनाथ -

तहसीलदार डीडवाना।


 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना

दिनांक : 30/6/21


 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना

दिनांक :

क्रमांक

प्रतिपालक मालनाथ -

पटवार मण्डल को लिखा को नोटकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो न्यायालय के आदेश का पालन करना।

को नोटकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो न्यायालय के आदेश का पालन करना।



तहसीलदार डीडवाना